न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/414

मिसल नम्बर– 105 / 2024

1.श्रीमति रेखा उर्फ राम रेखा बाई पत्नी श्री विष्णु उर्फ विष्णु प्रसाद आयु 64 वर्ष।
2.श्री विष्णु उर्फ विष्णु प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री ग्यारसी लाल आयु 74 वर्ष निवासी गण गौड साहब क्लिनिक के पीछे, हनुमान मंदिर के पास, वल्लभबाडी कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.धनराज बसबाल आयु 40 वर्ष पुत्र विष्णु उर्फ विष्णु प्रसाद
2.पिंकी पत्नी धनराज बसवाल आयु 35 वर्ष निवासीगण गौड साहब क्लिनिक के पीछे, हनुमान मंदिर के पास, वल्लभबाड़ी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/6/25

उपस्थिति:–

1.सूश्री रानी प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री वीरेन्द्र सिंह सोनी अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वरिष्ठ वृद्द दम्पत्ति है। प्रार्थीया कम–1 वर्तमान में 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है एवं गृहणी है तथा प्रार्थी कम– 2 भी 74 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है जो पति पत्नी है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधु है। प्रार्थीगण के तीन पुत्रियां और एक पुत्र है तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुकाहै जो कि अपने ससुराल में निवास कर रही है। प्रार्थीगण के एक पुत्र धनराज बसवाल अप्रार्थी कम–1 है जो अपने परिवार सहित प्रार्थीगण के मकान में निवास करता है। प्रार्थीगण का मकान वाके गौड साहब क्लिनिक के पीछे हनुमान मंदिर के पास वल्लभबाडी, कोटा पर पर स्थित है। उक्त मकान को प्रार्थीगण ने अपनी स्वंय की आय से क्रय किया था, क्रय करने के पश्चात् उसमें कन्सट्रक्शन आदि का कार्य भी प्रार्थीगण द्वारा ही अपनी मेहनत की आमदनी से करवाया गया। जिसमें वर्तमान में ग्राउण्ड फुलोर पर प्रार्थीगण स्वंय व प्रथमतल पर अप्रार्थीगण निवास करते है। अप्रार्थीगण के कब्जे में उक्त मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर दो कमरे लेटबाथ है और प्रथमतल पर एक हॉल और एक लेटरिन बनी हुई है। अप्रार्थीगण का विवाह सन लगभग 20 से 25 वर्ष हो गये है। विवाह होने के बाद से ही अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थीगण के विरूद्व ठीक नही रहा तथा अप्रार्थीगण मकान को लेकर आये दिन प्रार्थीगण से लडाई झगडा और दुरव्वहार करते रहे जिसके कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अलग निवास करने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को मकान उनके नाम करने का दबाव डालते रहते है तथा अप्रार्थी कम 2 व्यवहार प्रार्थीगण के विरूद्व प्रथम से ही क्रूरतापूर्ण रहा है व हमेंशा अप्रार्थी–2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ हमेशा तिरसकार व दुव्यवहार किया जाता रहा है और इस सम्बन्ध में अप्रार्थीया कम–2, अप्राथी कम– 1 को भडकाती है तथा मकान को अपने नाम करवाने को कहती है और घर में कलेश पैदा करती है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ मारपीट करते है तथा अप्राथी कम 1, प्रार्थीया कम 1 को वाल पकडकर मारता है तथा मकान नाम करवाने का दबाव डालता है जिसमें प्राथीगण की एक पुत्री लाडबाई भी अप्रार्थीगण का ही

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

साथ देती है तथा अप्रार्थी कम 2 द्वारा जब अप्रार्थी कम–1 घर पर नही रहता है तो शारीरिक व मानसिक रूप से मकान नाम कराने का दबाव डालती है खाना नहीं देती है और कहती है कि मकान हमारे नाम करों वरना तुम्हारा बुढापा खराब कर देंगे और अप्रार्थीगण धमकी देते है कि यदि मकान हमारे नाम नही किया तो हम जहर देकर तुम्हें मार देंगे और मेरे बच्चे को जहर दे देंगे और तुम्हें झूठे केस में जैल भिजवाकर तुम्हारा बुढाापा खराब कर देंगे। अप्रार्थी कम–2 वाईपर से प्रार्थीगण के साथ मारपीट करती है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है । अप्रार्थगण ने कभी भी अपने पुत्र व बहु का प्रार्थीगण के प्रति दायित्व नही निभाया है हमेशा, प्रार्थीगण के विरूद्ध षडयंत्र रचते रहते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को ठीक से नही रखते है तथा प्रार्थी क्रम–1 चौकीदारी का कार्य कर अपना गुजर बसर करता है प्रार्थी कम–2 की आमदनी अप्रार्थीगण, छीनने का प्रयास करते है। जबकि अप्रार्थी कम –1 स्वंय ठेकेदारी का कार्य करता है जिससे उसकी अच्छी आमदनी होती है। प्रार्थीगण जानबूझकर उक्त कृत्य प्रार्थीगण को तंग व परेशान करेन के लिये करते है ताकि प्रार्थीगण मजबूर होकर अपना उक्त मकान, अप्रार्थीगण के नाम कर दें । अप्रार्थीगण के उक्त व्यवहार और आचरण से प्रार्थीगण शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके है तथा प्रार्थीगण को हर समय यही डर लगा रहता है कि उनके विरूद्ध कभीकोई गंभीर घटना कारित हो सकती है। इस कारण से प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान में नही रखना चाहते है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रारथीगण से उक्त मकान खाली करने व अन्यत्र रहने हेत कहते है तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से झगडा करते है, मारपीट पर उतारू होते है तथा स्पष्ट कहते है कि तुम्हारे मरने के बाद तो यह मकान हमारा ही होगा। हमें कोई भी इस मकान से नही निकाल सकता। न ही हम किसी को इस मकान में रहने देंगे। अप्रार्थीगण हमेशा रो ही प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते है तथा प्रार्थीगण एक बुर्जुग दंम्पत्ति है जो आये दिन बीमार भी रहते है, अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की किसी भी प्रकार से सेवा सुश्रुषा नही करते है, प्रार्थीया कम–1 स्वंय अपना तथा अपने पति का भोजन बनाती है और स्वयं की पूरे घर का कार्य करती है। प्रार्थीगण उक्त मकान को हडप कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीगण के पास केवल एक ही विकल्प रह गया है कि वह सम्मानीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर, अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करावें। प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक है जो अक्सर बीमार रहते है तथा जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते है और मकान खाली करने की कहने पर प्रतिपक्षीगण का व्यवहार और ज्यादा क्रूरतापूर्ण हो जाता है और ऐनकेन प्रकरेण प्रार्थीगण के मकान पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण का व्यवहार व कृत्य दिनों दिन और ज्यादा क्रूर हो गया है और अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ आये दिन मारपीट व धमकियां दे रहे हे कि मकान हमारे नाम कर वृद्वाश्रम में चले जाओ तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों से काफी मानसिक व शारीरिक पीडा झेलते रहने के कारण प्रार्थीगण काफी मानसिक तनाव में रहते हुए डिप्रेशन में आ रहे है और इस कारण से ज्यादा बीमार रहने लग गये है। प्रार्थी कम–2 वर्तमान में 74 वर्षीय बीमार रहने से इलजरत है और अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की इस बीमारी व बुढापे की हालत में जरा भी तरस नही खाते हे सोचते है कि कब यह मरे और कब हम इस मकान के मालिक बने । अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण विगत तीन से चार वर्षों से लगातार प्रताडनाऐं देते आ रहे है परन्तु, प्रार्थीगण का पुत्र व पुत्रवधु होने के कारण और यही सोचकर कि अप्रार्थीगण का व्यवहार, प्रार्थीगण के साथ ठीक हो जाने की आशा में ही निरन्तर प्रतिपक्षीगण को अपने मकान में रहने दिया चूंकि अब प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण की शांति भंग हो गयी है और जान – माल का खतरा उत्पन्न हो गया है जो लगातार है। इस कारण से प्रार्थीगण के पार एक मात्र विकल्प प्रतिपक्षीगण को अपने मालिकाना स्वामित्व वाले मकान से निकलवाने/निष्काषित / हटाने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही बचा है इस कारण प्रार्थीगण अपने मकान सम्पत्ति रो अप्रार्थीगण को अपने मकान से बेदखल करवाये। इस बाबत पूर्व में पुलिस में शिकायते देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण गत दिनों में अप्रार्थीगणं द्वारा प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
को

साथ सर्वथा अनुचित व्यवहार करने तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनके मकान पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने व इस बाबत् गंभीर रूप से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षीगणों से मकान खाली करवाकर, मकान से अन्यत्र चले जाने की कहने पर न मानते हुए अत्यन्त गंभीर झूठे आरोपों एवं लडाई झगडा करने, जाने से मारने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाके, गौड साहब क्लीनिक के पीछे, हनुमान मंदिर के पास वल्लभबाडी, कोटा–राज० के अप्रार्थीगणों को निष्काषित किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावें तथा प्रार्थीगण को व्यक्ति सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थीगण के उक्त मकान व समपत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हुए उक्त बाबत् समुचित आदेश प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान फरमाया जावे। साथ ही अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण के साथ ऐसा कोई कृत्य अमल में नही लावे जिससे प्रार्थीगण के जीवन की सुखशांति भंग हो और प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आघात पहुंचे । प्राथींगण को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किभी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करें। प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति के बेचान नामान्तरण के लिये विवश न करें। साथ ही अन्य अनुतोष स्वीकृत करें जो तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन ठीक और उचित समझे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य में प्रत्यर्थी नं. 1 प्रार्थीगण का पुत्र है एवं प्रत्यर्थी नं. 2 बहु अथर्थात प्रत्यर्थी नं. 1 की पत्नी है। प्रार्थना पत्र में तीन पुत्रियाँ व एक पुत्र होना स्वीकार है तथा पुत्रियाँ अधिकतर समय प्रार्थीगण के पास अती रहती है और प्रार्थीगण को बहकाती रहती है, अप्रार्थी नं. 1 अपने तयशुदा हिस्से में ही निवास करता है, जो कि अपने खर्चे से बनाया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मकान गौड़ साहब क्लिीनिक के पीछे, हनुमान मंदिर, बल्लभबाड़ी, कोटा में स्थित होना स्वीकार है तथा प्रार्थी ने ही निर्माण कराया हो स्वीकार योग्य नहीं है तथा प्रार्थीगण स्वयं ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास करते है, जबकि अप्रार्थी नं. 1 प्रथम तल पर निर्मित एक कमरे में निवास करता है तथा मकान की हालत जर्जर अवस्था में थी, जिसे प्रार्थी ने अपने खर्चे पर ही दुरूस्त कराया है तथा अप्रार्थी के पास पहली मंजिल में स्थित एक कमरा ही निवास के लिए है अन्य किसी परिसर पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य में अप्रार्थीगण का विवाह 20 से 25 वर्ष पूर्व होना स्वीकार है, विवाह के बाद से प्रार्थीगण को परेशान करते हो लड़ाई झगड़ा करते हो स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण से नाजायज लड़ाई झगड़ा नहीं किया और मकान को अपने नाम करने हेतु भी कभी नहीं कहा, अप्रार्थीगण ने अपने खर्चे से कई बार मरम्मत कार्य करवाया, हर साल रंगाई पूताई का खर्चा अप्राथीगण ही वहन करते है, प्रार्थीगण अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगा रहे है तथा प्रार्थीगण ने पूर्व में भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र उक्त आशय का पेश किया था, जिसका दिनांक 14.10.24 को निस्तारण किया जा चूका है, उन्हीं तथ्यों पर पुनः हस्तगत प्रकरण पेश कर दिया गया है, जबकि प्रार्थीगण को मूकदमा पूर्व से ही अप्रार्थीगण ने कभी परेशान नहीं किया, कोई दुर्यवहार नहीं किया। अप्रार्थी नं. 1 धनराज अल्प वेतन भोगी है तथा ठेकेदार के यहाँ दैनिक मजदूरी पर कार्य करता है, बड़ी मुश्किलों से 300–400 रूपये मेहनताना मिल पाता है, अप्रार्थी नं. 1 के साथ उसकी पत्नी एवं नाबालिग पुत्र–पुत्री है, जिनके भरण पोषण का दायित्व भी अप्रार्थी नं. 1 के ऊपर ही है, बड़ी मुश्किलों से अप्रार्थी नं. 1 अपने परिवार का गुजर बसर कर पा रहा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने कभी भी घर से बाहर निकालने की धमकी नहीं दी बल्कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की हारी –बीमारी में देखरेख करते है, समय समय पर सेवा सुश्रुषा करते है, अप्रार्थी नं. 2 बहु है जो कि प्रार्थीगण को खाना बनाकर देती है किन्तु उसके हाथ का खाना पसन्द नहीं करते है. अब वृद्धावस्था में प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 व 2 को घर से बाहर निकालने की योजना

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बना रहे हैं। कभी भी कोई बीमारी प्रार्थीगण के नहीं हुई और अप्रार्थीगण ने, प्रार्थीगण के साथ कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया, बल्कि अप्रार्थीगण पुत्र व पुत्रवधू होने के कर्त्तव्यों को निभाने में हमेशा आगे रहते हैं किसी प्रकार से प्रार्थीगण को कोई पीड़ा या मानसिक संताप नहीं पहुंचाया है, अब लम्बे समय बाद अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर दिया है। प्रार्थीगण को मकान से निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किये, ना ही किसी प्रकार का जानमाल का खतरा उत्पन्न करने वाला.कृत्य कारित किया है तथा प्रार्थीगण ने वकील साहब के कहने पर अप्रार्थीगण की झूठी शिकायत पुलिस चौकी में कर दी गई, पूलिस कर्मियों के द्वारा जाँच की गई, जिसमें उक्त शिकायत मिथ्या पाई गई, जिस कारण से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थगण के तीन पुत्रियाँ है, तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका है और आये दिन प्रत्यर्थीगण से मिलने–जूलने सलाह मशविरा करने आती रहती है तथा तीनों पुत्रियाँ आथिक रूप से सक्षम है, किन्तु प्रार्थीगण ने उक्त पुत्रियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है मात्र प्रत्यर्थीगण को हैरान– परेशान करने के आशय से प्रकरण में पक्षकार बनाया है, जबकि प्रार्थीगण जिस मकान में निवास कर रहे है वह पूर्व में कच्ची टापरीनुमा बना हुआ था, प्रत्यर्थीगण ने ही मेहनत मंजदूरी से रूपया एकत्रित कर उक्त कच्चे मकान को पक्के मकान में तब्दील किया और प्रत्यर्थीगण छत पर बने एक कमरें में अपने परिवार सहित निवास करते है, जबकि नीचे का ग्राउण्ड फ्लोर का पोर्शन प्रत्यर्थीगण के पास है तथा प्रत्यर्थी नं. 1 प्राथीगण का पुत्र है इसके नाते प्रत्यर्थी नं, 1 ने प्रार्थीगण का पूर्ण सहयोग किया है तथा मकान अत्यधिक छोटे साईज का है, ऊपर नीचे के ही कमरें बने हुए है, प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण. को क्यों बाहर निकालना चाहते है, जबकि प्रत्यर्थीगण ने मकान बनाने में भी पूर्ण सहयोग दिया है, आज भी प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण की सेवा करने हेतु तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण की हारी–बिमारी होने पर प्रत्यर्थी नं. 1 ही ईलाज हेतु कोटड़ी में स्थित ए.आर. खान डॉक्टर साहब के पास या भारत क्लीनिक बल्लभबाड़ी में प्रार्थीगण को लिवाकर ले जाता है, समय पर दवा–गोली व ईलाज कराता है तथा इस बात के आस– पड़ौस वाले एवं किन्नर ताराबाई साक्षी है कि प्रत्यर्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की सेवा में कमी नहीं छोड़ी है, किन्तु प्रार्थीगण ने अपनी पुत्री के बहकावे में आकर गलत तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण पेश कर दिया है। प्रार्थीगण का सिंडीकेट बैंक, रामपूरा, कोटा में बचत खाता है जिसको प्रार्थीगण की पुत्री माया पत्नी गोविन्द निवासी कन्सूआॅ, कोटा ऑपरेट करती है तथा प्रार्थीया रेखा ने उक्त बैंक में 6,00,000/– रूपये की एफ डी. करा रखी है तथा सरकारी योजना के अनुसार प्रार्थीगण राशन का गेहूँ, अन्य सामग्री समय –समय पर प्राप्त करते रहते है और प्रार्थीगण को वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है और डेढ से दो लाख रूपये परिचित व्यक्तियों को व्याज पर दे रखे है, प्रार्थीगण का भलीभाति घर का खर्चा चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मकान में निवास कर रहे है। प्रत्यर्थी नं. 1 धनराज थर्मल में ठेकेदार के पास मजदूरी का कार्य करता है, बड़ी मुश्किलों से 5–6 हजार रूपये ही वेतन प्राप्त होता है तथा प्रत्यर्थीगण के छोटे–छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किलों से घर का गुजर –बसर चलता है, प्रत्यर्थीगण के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण प्रथम मंजिल पर निर्मित एक कमरें में ही निवास कर रहे है तथा बेदखल करने पर प्रत्यर्थीगण को काफी असुविधा होगी, आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण की पुत्री भी आर्थिक रूप से सक्षम है उनसे भी प्रार्थीगण आर्थिक मदद मांग सकते है। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के यहां उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें अप्रार्थीगण को तलब किये जाने के बाद अप्रार्थीगण ने उक्त विचाराधीन प्रकरण का जवाब दिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 14.10.24 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा माननीय न्यायालय के आदेश की अप्रार्थीगण पूर्ण पालना करते आ रहे है यदि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं थे तो उस स्थिति में प्रार्थीगण को जिला कलेक्टर साहब के यहाँ अपील पेश करनी चाहिये थी, प्रार्थीगण द्वारा उन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए पुनः यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है। अतः जवाब

उपखण्ड अधिकारी
को.

प्रार्थनां पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्षकारान की ओर से प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के सदर्भ में लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थीगण की ओर से पुलिस थाना गुमानपुरा की रिपोर्ट दिनांक 21.11.2024, पुलिस अधीक्षक कोटा की रिपोर्ट दिनांक 21.11.2024, पुलिस अधीक्षक कोटा को पेश रिपोर्ट दिनांक 10.01.2025, पुलिस द्वारा पेश इस्तगासा अप्रार्थी धनरा, पिंकी, आदि पेश किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से फोटोकॉपी निर्णय दिनांक 14.10.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा पेश किये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में भी न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको एवं माता पिता का भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने का कथन करते हुये यह भी निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वह प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार से ना तो मारपीट करे ना धमकी देकर या डरा धमका कर प्रार्थीगण को उनके निवास मकान से निकालने का प्रयास भी ना करें तथा प्रार्थीगण को उक्त मकान में शांतिपूर्वक निवास करने दे। प्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का क्रुरता का व्यवहार ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाए इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण षडयंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के उक्त मकान व अन्य संपत्तियों को अवैध रूप से किसी अन्य के नाम हस्तांतरित ना करे ना ही ऋणग्रस्त करें ना ही ऐसा कृत्य स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करवाए। प्रार्थीगण के रहने, इलाज के लिए रूपये पैसे की व्यवस्था करें। उक्त प्रार्थना पत्र में कार्यवाही करते हुये उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 14.10.24 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुये निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के साथ मारपीट ना करने, उक्त मकान से प्रार्थीगण को नही निकालने, शांतिपूर्वक निवास करने एवं प्रार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने हेतु पाबंद करते हुये प्रकरण का निस्तारण कर दिया। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा पुनः उन्ही तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु यह प्रार्थना पत्र. प्रस्तुत किया है। यदि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 से प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं थे तो उस स्थिति में प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के यहाँ अपील पेश करनी चाहिये थी, प्रार्थीगण द्वारा उन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए पुनः यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको एवं माता पिता का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को